

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बक्सर।

T.S. 08/2012

11.11.2019

उभयपक्ष की हाजिरी दी गई। वादी के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थिति नहीं हुए। बार-बार पुकार पर प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वादी के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि दिनांक 13.03.2019 के आवेदन के सुनवाई पर लंबित है। वादी के अधिवक्ता को सुना, वादी के अधिवक्ता का कथन है कि उनके द्वारा दाखिल मु0 भगवती देवी की गवाही T.S.160/1998 में लोक दस्तवोज है। दिनांक 13.03.2019 के आवेदन को स्वीकृत किया गया, तथा T.S. 160/1998 के गवाही मु0 भगवती देवी को प्रदर्श -03 अंकित किया जाता है।

दिनांक 03.12.2019 वास्ते सुनवाई।

लेखापित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
बक्सर।